<u>कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नीति</u>

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नियम 2013 दिनांक 9 दिसंबर 2013 को लागू किए गए। तत्कालिक संदर्भ हेतु निगम की नीति में इनके मुख्य अंशों को पुन: उल्लेखित किया गया है। विभिन्न प्रावधानों के कठोर अनुपालन हेतु इस अधिनियम एवं नियमों को संदर्भित किया जा सकता है।

<u>उद्येश्य</u>

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा शिकायतों के निवारण के प्रति सुरक्षा उपलब्ध करना।

यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं ?

यौन उत्पीड़न में व्यवहार के निम्नलिखिल में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक अवांछनीय कार्य शामिल है :

i) शारीरिक संपर्क तथा गतिविधियां, अथवा
ii) यौन क्रिया के लिए साथ की मांग करना अथवा निवेदन करना, अथवा
iii) सैक्सुअली कलर्ड टिप्पणियां करना, अथवा
iv) अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफी) दिखाना, अथवा
v) सैक्सुअल प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक अथवा गैर-मौखिक आचारण

निम्नलिखित परिस्थितियां भी यौन उत्पीड़न में शामिल हो सकती हैं :-

i) महिला को उसके रोजगार संबंधी मनचाहे बर्ताव का अन्तर्निहित अथवा स्पष्ट वादा करना, अथवा
ii) महिला को रोजगार संबंधी हानिकारण बर्ताव की अन्तर्निहित अथवा स्पष्ट धमकी देना, अथवा
iii) महिला को उसके वर्तमान अथवा भविष्य के रोजगार की स्थिति के प्रति अंतनिर्हित एवं स्पष्ट धमकी देना, अथवा
    i) महिला के कार्य में दखल देना अथवा उसके लिए भयभीत करने वाला अथवा अपमानजनक अथवा कार्य के प्रति प्रतिकूल वातावरण बनाना, अथवा

ii) महिला के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा को संभावित रूप से प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार ।

<u>आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन</u>

1. एमएमटीसी लिमिटेड का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक शिकायत समिति के नाम से जाना जाएगा।

   आंतरिक समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

   i. एक पीठासीन अधिकारी जो कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर की एक महिला अधिकारी होगी।

   ii कर्मचारियों में से न्यूनतम दो ऐसे कर्मचारी जो महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित हों अथवा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा विधिक ज्ञान का अनुभव हो।

   iii गैर-सरकारी संस्थानों एवं महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित एसोसिएशनों अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों के जानकार व्यक्तियों में से एक सदस्य ।

2. इस प्रकार नामित कुल सदस्यों में न्यूनतम आधी संख्या महिलाओं की होगी।
3. पीठासीन अधिकारी एवं आंतरिक समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल नामांकन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष का होगा।
4. गैर-सरकारी संस्थाओं एवं एसोसिएशनों से नियुक्त सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए फीस एवं भत्तों के रूप में 2500/- रूपए का भुगतान किया जाएगा।
5. यदि आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी अथवा कोई अन्य सदस्य
   - अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, अथवा
   - किसी अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है अथवा उसके विरूद्ध कार्रवाई लंबित है, अथवा
   - किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई में दोषी पाया गया है अथवा उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, अथवा

- अपने पद का दुरूपयोग किया है जिससे कि वह जनहित के विरूद्ध कार्यालय में पद पर बना रहे, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार की रिक्तियों को नए नामांकन द्वारा भरा जाएगा ।

<u>यौन उत्पीड़न की शिकायत</u>

1. कोई भी पीड़ित महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि में आंतरिक समिति को लिखित रूप में करेगी। शिकायतकर्ता को सहायक दस्तावेजों एवं गवाहों के नाम व पते सहित शिकायत की छः प्रतियां आंतरिक समिति को प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए अनुलग्नक-1 पर दिए गए शिकायत फार्म का प्रयोग किया जा सकता है ।
2. आंतरिक समिति द्वारा शिकायत की एक प्रति तथा संबंधित दस्तावेजों को शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रतिवादी को प्रेषित किया जाएगा।
3. आंतरिक समिति से दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के अंदर प्रतिवादी द्वारा आईसीसी को स्पोर्टिंग दस्तावेजों एवं गवाहों के नाम व पते सहित उत्तर फाइल करना होगा ।
4. आंतरिक समिति एमएमटीसी ईसीडीए नियमों के प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप जांच करेगी। तथापि, जांच आरंभ करने से पहले तथा पीड़ित महिला कर्मचारी के निवेदन पर आंतरिक समिति प्रतिवादी एवं उसके बीच मामले के निपटान हेतु कदम उठा सकती है ।

5. जांच की समाप्ति पर आंतरिक समिति उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट जांच समाप्त होने की तिथि से दस दिन की अवधि में नियोक्ता को उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उक्त रिपोर्ट को संबंधित पक्षों को भी उपलब्ध करवायेगी ।
   जांच प्रक्रिया के समय पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक समिति के न्यूनतम तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए ।

<u>मामले में कार्रवाई :</u>

- जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो नियोक्ता को संस्तुति करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई न की जाये ।

- जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं तो वह नियोक्ता को संस्तुति करेगी कि वह यौन उत्पीड़न हेतु प्रतिवादी पर लागू एमएमटीसी ईसीडीए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कदाचार के लिए कार्रवाई करे ।
- आंतरिक समिति की संस्तुति प्राप्त होने के साठ (60) दिनों के अंदर संस्तुति पर कार्रवाई की जाएगी ।

<u>गोपनीयता :</u>

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में किन्ही भी बातों के होने पर भी की गई शिकायत के विषय, पीड़ित महिला कर्मचारी, प्रतिवादी तथा गवाहों की पहचान एवं पते, समाधान से संबंधित कोई सूचना तथा जांच प्रक्रिया, आंतरिक समिति की संस्तुतियों तथा नियोक्त द्वारा की गई कार्रवाई का प्रकाशन, संचार किसी भी रूप में पब्लिक, प्रेस एवं मीडिया को नहीं किया जायेगा ।

<u>झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायत एवं झूठे साक्ष्यों के लिए दण्ड</u>

जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध आरोप दुर्भावनापूर्ण है तथा शिकायत करने वाली पीड़ित महिला अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने यह जानते हुए कि शिकायत झूठी है, शिकायत की है, तथा कोई जाली अथवा तथ्यों से भटकाने वाले दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं तो आंतरिक लेखा समिति सक्षम प्राधिकारी को शिकायत करने वाली महिला अथवा व्यक्ति के विरूद्ध उन पर लागू एमएमटीसी ईसीडीए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने की संस्तुति करेगी।

- जहां आंतरिक समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी गवाह ने झूठे साक्ष्य दिए हैं तथा जाली अथवा तथ्यों से भटकाने वाले दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं तो उक्त गवाह के विरूद्ध उस पर लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए आंतरिक समिति सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति करेगी ।

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत ।

1.	पीड़ित महिला कार्मिक का नाम	
2.	पदनाम	
3.	कर्मचारी सं. व फोन नं.	
4.	घटना का समय व तिथि	
5.	घटना की वास्तविक प्रकृति	
6.	अपराधी का नाम	
7.	पदनाम	
8.	कर्मचारी सं.	
9.	अन्य विवरण (अनजान, अजनबी होने की स्थिति में)	
10.	गवाह का नाम व हस्ताक्षर, यदि कोई हो तो	
	दिनांक	(कार्मिक के हस्ताक्षर) या तीसरे पक्ष के हस्ताक्षर
		नाम : पदनाम : संपर्क नंबर :

अनुलग्नक 2

महिला कार्मिकों की सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट
(31 मार्च, 20 की स्थिति के अनुसार)

यूनिट : .....

1.	अध्यक्ष का नाम व पदनाम, समिति के सदस्य और तीसरी पार्टी के सदस्य		
2.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का विवरण		
	(क) गत वर्ष से आगे लाई गई शिकायतों की संख्या		
	(ख) अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा 1 अप्रैल 20.....से 31 मार्च 20 .....की अवधि तक		
	(ग) निपटाई गई की संख्या*		
	*प्रत्येक मामले तथा उसके संबंध में की गई कार्रवाई की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाए।		
3.	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 से अधिक दिनों से लंबित हैं		
	विलंब का कारण		
4.	(क) यूनिट में 1 अप्रैल 20..... से 31 मार्च 20..... की अवधि के दौरान यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या		
5.	(ख) कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने कार्यशालाओं/ जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया	महिलाओं की संख्या ---------- पुरूषों की संख्या	
	(ग) यूनिट में आयोजित की गई कार्यशालाओं/जागरूकता कार्यक्रमों का संक्षिप्त सार		